

राजस्थान सरकार

निर्णय
30/8/18

लघुआयुक्त लक्ष्मी लक्ष्मी (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार लक्ष्मी बनाम श्री श्री रामचंद्र शं. मेराराम शर्मा
बि. वरनाली

किरम मुकदमा - आरसी.नं. 4054 की धारा 82

एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 04 ✓ 91

मुकदमा नं. 06/18 वर्ष 2018 फसल 24वीं

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की जालीम

26/7/18

पटवारी हल्का अजीरमाना
की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीव की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने
ग्राम/चक्र वरनाली के
खसरा नं./मु.नं. 65

तादादी 1.26 बीघा मे.शु.गोद
राजकीय भूमि पर संभवतः 2075 में
नाजायज कब्जा कर काग़त कर ली। अप्रार्थी को धारा 82/91 के तहत नोटिस
जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा
जाये। पत्रावली आईन्दा दिनांक 07/8/18 को पेश हो।

बहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर

7/8/18

लघुआयुक्त पेशी हुई। लघुआयुक्त ने सचिव को सूचना दी कि
लघुआयुक्त को 100 रु. के अर्थसूच्य द्वारा या नहीं दिया
कर रिपोर्ट ली जाये। लघुआयुक्त ने 30/8/18
को पेश किया।

30/8/18

लघुआयुक्त पेशी हुई। लघुआयुक्त को 100 रु. के अर्थसूच्य
की रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट प्राप्त हुई। लघुआयुक्त को
द्वारा 100 रु. के अर्थसूच्य द्वारा या नहीं दिया जाये।
लघुआयुक्त ने 30/8/18 को पेश किया।

'ब' 2 जिले के पेज
नं. 129 के 5. मं.
06 पर मांग काम
की गयी।

TRR
7/8/18

P.T.O.

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: ०६/2018

दिनांक 30/8/2018.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ^{अधीरमावा} रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2075 फसल खरीफ में गैर सायल ^{शाम्भु} पुत्र शेरा राम जाति शाल साकिन करवाली ने ग्राम करवाली के खसरा नं० 65 रकबा 1.26 हेक्टेयर जोहड़ पायतन, गोचर, चारामाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तागिल शागिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल अनुत्पस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इक्तरफा कार्यवाही करते हुए सम्बंधित गैर सायल शाम्भु पुत्र श्री शेरा राम जाति शाल साकिन करवाली ग्राम करवाली खसरा नं० 65 रकबा 1.26 हेक्टेयर के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्राक्धान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा मौके से काश्त फसल को नष्ट करने व अतिक्रमित भूमि से वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। वेदखली व काश्त फसल को नष्ट करने तथा भुराजस्व का 50 गुणा 63/- रुपये शास्ति से दंडित किया जाता है। इस बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तलवान वसुली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टीआरए शाखा को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

3
तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

କା, ଶୁଣିଲୁ ନିଜର କାଳୀରୀ ! ଓହ୍ଲ ଯାଏନ ଯା ନିଜର
ଧ୍ୟାନେ ନିଜର ମନେ ଶୁଣିଲୁ ନିଜର କାଳୀରୀ !